संख्याः 348 /XXIII/2018/04(11)/2012TC

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 18 अप्रैल 2018

विषय– चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक/शोध (Medical and scientific) प्रयोजन हेतु कैनाबिस की खेती के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम–1985 की धारा–08 के अधीन भांग की चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक/शोध (Medical and scientific) प्रयोजन हेतु खेती किये जाने के सम्बन्ध में केवल ख्याति प्राप्त विधि द्वारा स्थापित उक्त कार्यों में संलग्न संस्थाओं को निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जायः–

(1) संस्थान/इकाई द्वारा सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के निरीक्षण कार्य हेतु भूमि/स्थान का पूर्ण विवरण एवं स्थिति का ब्यौरा प्रदान किया जायेगा।
(2) सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा भूमि के विवरण को प्रमाणित किया जायेगा।
(3) संस्थान/इकाई द्वारा कैनाबिस की खेती के सम्बन्ध में सम्पूर्ण रिकार्ड/विवरण रखा जायेगा तथा उक्त विवरण को संदर्भ (Reference) एवं रिकार्ड (Record) हेतु आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा।
(4) आबकारी विभाग द्वारा कैनाबिस की खेती से सम्बन्धित भूमि का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
(5) कैनाबिस की खेती को नष्ट करना/खेती करना आबकारी विभाग की जानकारी में किया जायेगा।
(6) भांग का अपवाहन(Transport) आबकारी विभाग की पूर्वानुमति से किया जायेगा।
(6) संस्थान/इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैनाबिस की फसल और इसका कोई उत्पाद उसी उद्देश्य से प्रयोग किया जायेगा, जिसके प्रयोजन हेतु इकाई को अनुमति प्रदान की गयी है।
(7) संस्थान/इकाई द्वारा कैनाबिस की खेती अथवा इससे प्राप्त किसी उत्पाद का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) संस्थान/इकाई द्वारा एन0डी0पी0एस0 एक्ट, 1985 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/4/2018

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Scanned by CamScanner